32

आरोप लगाने से संबंधित प्रक्रिया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें आरोप लगाने से सम्बन्धित प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, अध्यक्षपीठ द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों तथा विनिर्णयों और दलों तथा ग्रुपों के नेताओं के परामर्श से किए गये निर्णयों पर आधारित है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्त्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

आरोप लगाने से संबंधित प्रक्रिया

विस्तार

सदस्यों को सदन में वाक्-स्वातंत्र्य प्राप्त है और इस विशेषाधिकार के स्वाभाविक परिणामस्वरूप सभा में कही गई किसी बात के लिये उनके विरुद्ध किसी भी दीवानी अथवा दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तथापि, वाक्-स्वातंत्र्य का यह संवैधानिक विशेषाधिकार संविधान के अन्य उपबन्धों एवं सभा के नियमों के अध्यधीन है।

बोलते समय कोई सदस्य सभा के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाकर, हित पूर्ति का लांछन लगाकर या उसकी सदाशयता पर आपत्ति करके कोई व्यक्तिगत उल्लेख नहीं करेगा/करेगी, जब तक कि वाद-विवाद, जो स्वयं वाद विषय या उससे संगत है, के प्रयोजन के लिए ऐसा करना अत्यावश्यक न हो।

नियम यह है कि बोलते समय कोई सदस्य उच्च प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं कर सकता/सकती है जब तक कि ऐसी चर्चा समुचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो। कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी सदस्य या किसी व्यक्ति के विरुद्ध मान-हानिकारक अथवा अपराधारोपक स्वरूप का कोई आरोप नहीं लगा सकता/सकती, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी उसकी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो, जिससे कि मंत्री उसके उत्तर के प्रयोजनार्थ उस विषय

की जांच कर सके। तथापि, अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से रोक सकता/सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होता है।

सदस्य ऐसे आरोप भी नहीं लगा सकता जो—

(एक) बाहर के व्यक्तियों के विरुद्ध हों, क्योंकि वे अपनी सफाई नहीं दे सकते;

(दो) नाम लेकर अधिकारियों के विरुद्ध लगाये जाएं, क्योंकि सांविधानिक उत्तरदायित्व मंत्री का होता है; और

(तीन) केवल समाचारपत्रों में छपे समाचारों पर आधारित हों, जब तक कि मामले की सच्चाई के बारे में उसने स्वयं अपना समाधान न कर लिया हो और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिये वह तैयार न हो।

2. जब किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं और वह सदस्य या मंत्री जिसके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं, उन आरोपों का खंडन करता/करती है तो आरोप लगाने वाले सदस्य को चाहिए कि वह उस खंडन को स्वीकार कर ले, जब तक कि वह लगाये गये आरोपों की सत्यता के बारे में पूर्णत: आश्वस्त न हो और उनका पूरा उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार न हो।

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

3. पूछताछ करने के पश्चात् जहां किसी सदस्य का यह समाधान हो जाता है कि आरोप का कोई आधार है और वह उसकी

जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तो उसे चाहिए कि वह उन आरोपों का ब्यौरा अध्यक्ष तथा संबंधित मंत्री को पर्याप्त समय पहले, किन्तु किसी भी दशा में उस तारीख को, जिसको वे लगाये जाने हों, 10 म.पू. के बाद नहीं, लिखित रूप में दे। सदस्य को सूचना में उस तारीख तथा कार्य की मद का, जिस पर वह अपने भाषण के दौरान आरोप लगाना चाहता/चाहती है, विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए। जिन सदस्यों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाने का विचार हो, उनके नाम भी सूचना में दिये जाने चाहिएं।

4. सभा में आरोप लगाने से पहले केवल सामान्य शब्दों में अध्यक्ष को सूचना देना सदस्य के लिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रयोजन के लिये यह आवश्यक है कि सभा में आरोप लगाने से पहले सम्बन्धित सदस्य को निम्न बातें सुनिश्चित कर लेनी चाहिये:—

(एक) जो आरोप लगाये जाने हैं उनका ब्यौरा यथावत शब्दों में दिया जाना चाहिए और ये आरोप अपेक्षित दस्तावेजों, जिन्हें सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये, द्वारा सम्यक् रूप से संपुष्ट होने चाहिएं;

(दो) सभा में आरोप लगाने से पहले सदस्य को पूछताछ करके अपना समाधान कर लेना चाहिये कि क्या आरोप लगाने का कोई आधार है;

(तीन) सदस्य को आरोपों का उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार रहना चाहिये; और

(चार) सदस्य को आरोपों को सिद्ध करने के लिये भी तैयार रहना चाहिये।

3

किसी मंत्री के आचरण से सम्बन्धित आरोपों की दशा में, सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल प्रकृति वाले प्रस्ताव की सूचना दे, जो ऐसे प्रस्तावों पर लागू नियमों के अधीन निपटाया जाये।

5. कोई सदस्य तब तक कोई आरोप नहीं लगायेगा/लगायेगी, जब तक कि उसे अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है और यदि वह अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना अथवा इस निमित्त सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना ही दुराग्रह करता/करती है और सभा में गंभीर आरोप लगाता है, तो वे आरोप सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किए जाएंगे। किसी उपयुक्त मामले में सदस्य से अपेक्षा की जा सकती है कि वह उन आरोपों को वापस ले या अध्यक्षपीठ उन आरोपों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल सकते/सकती हैं।

6. यदि अग्रिम सूचना दिये बिना किसी मंत्री अथवा सदस्य के विरुद्ध सभा में लगाये गये आरोप कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हो जाते हैं और उनके बारे में कोई आक्षेप नहीं किया जाता है, तो संबंधित मंत्री अथवा सदस्य को, उसके द्वारा अनुरोध किये जाने पर, या तो उसी दिन या बाद में किसी दिन अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए सभा में वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है और उसके साथ ही यह मामला समाप्त हो जाता है।

[आरोप लगाने से सम्बन्धित प्रक्रिया, प्रक्रिया नियमों के नियम 352 (दो) और (पांच) तथा 353 एवं अध्यक्ष के साथ दलों और ग्रुपों के नेताओं की 18 जुलाई, 1980 और 1 दिसम्बर, 1988 को हुई बैठकों में लिये गये निर्णयों द्वारा विनियमित होती है।]